कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
ज्ञापन

क्रमांक / 5841 / स्थापना / 2012 बिलासपुर, दिनांक 04 / 12 / 2012

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क (विज्ञापन शाखा)
संचालनालय
महिला पुलिस थाना के पास,
रायपुर, (छत्तीसगढ़)

विषय :– रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत्।

----00----

विषयान्तर्गत कार्यालय कमिश्नर बिलासपुर संभाग, बिलासपुर मे रिक्त पदों की सीधी भर्ती किया जाना हैं। अतएव भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन सूचना की 03 प्रति संलग्न हैं। कृपया विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों मे दिनांक 07.12.2012 के पूर्व प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

आयुक्त
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

पृ0 क्रमांक / 5842 / स्थापना / 2012 बिलासपुर, दिनांक 04 / 12 / 2012

प्रतिलिपि :– (विज्ञापन की प्रति सहित)

1. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (N.I.C) बिलासपुर जिला बिलासपुर जिला का वेबसाईट मे विज्ञापन प्रकाशित हेतु प्रेषित।

आयुक्त
बिलासपुर संभाग,बिलासपुर

कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0)

क्रमांक/5843/आयुक्त/स्थापना/2012 बिलासपुर, दिनांक 04/12/2012

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर के पत्र क्रं. 2–4/सात–2/2008 दिनांक 09/05/2008 के द्वारा संभागीय कार्यालय बिलासपुर हेतु स्वीकृत पदो के अंतर्गत सीधी भर्ती के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2012 से 26.12.2012 की सायं 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही आमंत्रित किये जाते हैं, सीधे आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

क्रं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या			योग	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
		अनारक्षित मुक्त	अ.ज.जाति मुक्त	अनु.जाति मुक्त		
1	शीघ्र लेखक वर्ग–3	01	—	—	01	5200–20200 ग्रेड पे 2800
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	01		02	5200–20200 ग्रेड पे 2400
3	वाहन चालक	01	01	01	03	5200–20200 ग्रेड पे 1900
4	चौकीदार (आकस्मिक स्थापना)	01	—	—	01	4750–7440 ग्रेड पे 1300

योग्यता :–

1. <u>शीघ्र लेखक वर्ग – 03</u> :–
   1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10 + 2) उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता।
   2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से
      क. हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो।
   3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रमिंग से एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहियें।
2. <u>डाटा एन्ट्री आपरेटर</u> :–
   1. कक्षा (10 + 2) 12 वीं मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा ।
   2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग मे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा।
   3. कम्प्यूटर मे हिन्दी एवं अंग्रेजी में टायपिंग का 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति होना चाहिए।
3. <u>वाहन चालक</u> :–
   1. पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण (आठवीं)।
   2. विधि मान्य वाहन चालक का लायसेंस।
   3. हल्के वाहन चलाने हेतु शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थान से कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
4. <u>चौकीदार</u> :– पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण।

1. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र बंद लिफाफे में अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन क्र0, अनुभव प्रमाण पत्र तथा वांछित प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति के साथ कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर मे स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 26.12.2012 को सायं 5.00 बजे तक जमा करें, विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचाार नहीं किया जावेंगा।
2. उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त कार्यालय में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जावेंगी।
3. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, निर्देश तथा शर्ते कार्यालयीन सूचना पटल एवं www.bilaspur.gov.in में देखा जा सकता हैं।

नियम व शर्ते :–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
2. दिनांक 01.01.2012 की स्थिति में आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये। जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा का अंकसूची/सर्टिफिकेट संलग्न करें।
3. आयु की अधिकतम सीमा छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञा.क्र. एफ 3–2/2009/1/3 रायपुर दिनांक 28/06/07 द्वारा जारी आदेश के अधीन होगी एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा प्रावधानित आयु सीमा मे छूट की पात्रता होगी। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर आयु सीमा के संबंध मे जारी निर्देश लागू होंगे।
4. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की हैं। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक रहेगी।
5. रोजगार कार्यालय में आवेदक का आवेदन तिथि के पूर्व जीवित पंजीयन होना चाहिये।
6. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुई हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध मे आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
7. विवाहित महिला उम्मीदवार का नाम/उपनाम परिवर्तन संबधी दस्तावेज शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा आवेदन मे चस्पा की जाने वाली नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना अनिवार्य हैं।
9. कार्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप मे ही आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेंगा।
10. आवेदन पत्र के साथ स्वंय का पता लिखा हुआ 9 X 4" का लिफाफा जिस पर 5/– का टिकट चस्पा हो, संलग्न करें।
11. शासकीय, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं मे कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं।
12. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र मे राज्य स्तरीय छानबीन समिति का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. सभी नियुक्तियों पूर्णतः अस्थायी रहेगी। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एंव जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य परीक्षण नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी/संभागीय आयुक्त बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
16. शासन के निर्देशानुसार महिलाओ/भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण नियम लागू होगा।

चयन प्रकिया :–

1. शीघ्रलेखक वर्ग–3/डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर के उम्मीदवारों को प्रायोगिक (दक्षता /कौशल) परीक्षा हेतु आमंत्रित करने के लिये प्रावीण्य सूची, उनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर, निर्धारित कर गणना मे लिया जावेंगा और 1:15 अभ्यार्थियों को प्रायोगिक (दक्षता /कौशल) परीक्षा हेतु बुलाया जावेंगा।
2. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेंगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण/प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारों का परीक्षा परिणाम/चयन निरस्त किया जा सकता हैं।

3. शीघ्र लेखक वर्ग—3 के लिये हिन्दी शीघ्रलेखन के परीक्षा में क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जावेंगा, जिसे अनुवाद कर समय—सीमा के भीतर शुद्धता से कम्प्यूटर मे टाईप करना होगा। डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर के उम्मीदवारों को कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रायोगिक (दक्षता /कौशल) परीक्षा देना होगा।
4. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उत्तीर्ण पाये जाने वाले उम्मीदवारों को ही चयन सूची मे सम्मिलित कर परीक्षा में प्राप्तांक एवं अनुभव को जोड़ते हुए श्रेणीवार/वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की जावेंगी। अनुभव पर अधिकतम 10 अंक निर्धारित है, जो प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिये 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक होगा।

5. वाहन चालक पद हेतु निर्धारित योग्यता के अंकसूची मे उल्लेखित अंक का 80 प्रतिशत लिया जाकर अभ्यार्थियों का मेरिट कम वर्गवार तैयार कर 1:15 के मान से कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेंगा।
   (I) वाहन चालक के लिए प्रायोगिक (दक्षता /कौशल) परीक्षा आयोजित किया जावेंगा। वाहन संवंधी कौशल परीक्षा हेतु 10 अंक निर्धारित रहेंगे।
   (II) शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों मे वाहन चालक अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक निर्धारित है जिसमें
6. चौकीदार पद हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता की अंक सूची मे प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेंगा।
7. केवल शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

<u>महत्वपूर्ण सूचना</u> :—

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को पूरा करकें ही भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त किया जा सकता हैं।
2. यह स्पष्ट किया जाता हैं कि प्रायोगिक (दक्षता/कौशल), परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अयोग्य माना जायेगा।

आयुक्त
बिलासपुर संभाग बिलासपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

अभिप्रमाणित पासपोर्ट फोटो

प्रति,

आयुक्त,
बिलासपुर संभाग,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पद का नाम :– ....

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता / पति का नाम :– ....
3. वर्तमान पता :– ....
   (पत्र व्यवहार हेतु) ....
4. स्थाई पता – ....
5. जन्मतिथि – दिनांक .... माह .... वर्ष ....
6. आयु (01.01.2012) वर्ष .... माह .... दिन ....
7. जन्म स्थान– जिला एवं प्रदेश ....
8. श्रेणी (अनारक्षित / अनु.जाति
   अनु.जन.जाति / अन्य पि.वर्ग)
   (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
9. क्या आप विवाहित हैं ? यदि हॉ तो विवाह की तिथि – ....
10. जीवित बच्चों की संख्या :– ....
11. शैक्षणिक अर्हता :–

क0	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

अनुभव :–

कमांक	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण

12. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत् हैं. ....
(यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्र0 तथा दिनांक ....
14. रोजगार कार्यालय का नाम ....
15. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस
थानों/न्यायालय में लंबित हैं। ....
16. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र मे दिये गये सभी विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है तथा आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता /रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी/पदस्थापना निरस्त की जा सकेगी।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
आवेदक का नाम